

राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा
 एस. सा. ओ. 16-17, सैक्टर-20 डी,
 चण्डीगढ़

नी

83(2241)

अभियोग

न० 1983/एस०ई०सी०/-ई111/95

दिनांक 13-1-95

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 161 की उपधारा (4) का अनुसरण करते हुए, हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम जो सदस्य जिला अम्बाला जिला अम्बाला के सदस्य चुने गये हैं, अधिसूचित किये जाते हैं:-

क्रमांक	वार्ड न०	निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम	वर्ग/सा०/आरक्षित
1.	2.	3.	4.
1	1	सर्व श्री राम गोपाल पुत्र गंगा राम	जनरल
2	2	सर्व श्री कृष्ण लाल पुत्र रामस्वरूप	सम
3	3	श्री मति कणकरेखा पत्नी जय प्रकाश	सम
4	4	रविन्द्र सिंह पुत्र नरसिंह	सम
5	5	शारदा रानी पुत्री प्रताप चन्द	सम
6	6	चमन लाल पुत्र रौनकी राम	सम
7	7	राजकुमार पुत्र बाबू राम	सम
8	8	गुलाब सिंह पुत्र उत्तम सिंह	सम
9	9	करमजीत कौर पत्नी दरबारा सिंह	सम
10	10	मेवा सिंह पुत्र विजय सिंह	सम
11	11	कमला देवी पत्नी जगमल सिंह	सम
12	12	देवराज पुत्र चन्द्रराम	सम
13	13	रिसाल सिंह पुत्र मंगल सिंह	सम
14	14	प्रीतम सिंह पुत्र बचन सिंह	सम
15	15	कान्ता रानी पत्नी विद्याभूषण	जनरल
16	16	अमरजीत कौर पवन कुमार	एस०सी०
17	17	जगीर सिंह पुत्र केहर सिंह	जनरल
18	18	सुभाष चन्द्र पुत्र हरनाम दास	बी०सी०

माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा सिविल याचिका संख्या 1740 आफ 1994 में दिनांक 21.12.94 को पारित आदेशों के अनुसार उपरोक्त परिणाम इस याचिका के परिणाम पर आधारित होंगे।

जे. के. दुग्गल
 राज्य निर्वाचन आयुक्त
 हरियाणा, चण्डीगढ़

1	2	3	4
23	शगेत्र सिंह पुत्र मामा राज	23	सा.व.
24	राजेन्द्र कुमार पुत्र हंस राज	24	सा.व.
25	जसविन्द्र कौर पत्नी हरदयाल सिंह	25	सा.व.
26	जय नारायण पुत्र बाबू राम	26	सा.व.

जे०के०दुग्गल,
राज्य निर्वाचन आयुक्त हरियाणा,
चण्डीगढ़।